

प्रेषक,

अनिल कुमार-VI

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति  
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,  
फतेहपुर।

विषय:-

**पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792/VIIb-104/Admin D Section Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 01.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर  
पत्रांक संख्या 1895/7 दिनांक 01.08.2024

**अग्रसारित**

जनपद न्यायाधीश  
फतेहपुर  
01.08.2024

भवदीय,

  
(अनिल कुमार-VI)

विशेष न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति  
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

J.O.CODE- U.P-6435

**संलग्नक-**

शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस- 2024/301 (1) 2024

दिनांक- 28 जून, 2024 व शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276

/दस-2024/301(1)2024 दिनांक-11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

विकल्प पत्र

1. नाम	अनिल कुमार- VI (ANIL KUMAR - VI)
2. वर्तमान पदनाम	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुरा
3. वेतनमान	144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग (उच्चतर न्यायिक सेवा)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग
6. विज्ञप्ति की तिथि	15, नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं०.A-2/E-1/2003) (प्रकाशित 22-28 नवम्बर 2003 रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006 उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4 ( सं० 2430/दो -4-06-32(1)/2001/टीसी-1)
8. योगदान की तिथि	16.06.2006
9. जन्म तिथि	07.02.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	28.02.2033

में अनिल कुमार- VI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रमाशंकर शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024 /301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना / नवीन पेंशन योजना() में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

( अनिल कुमार- VI )

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुरा

घोषणा पत्र

में अनिल कुमार- VI पदनाम विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुरा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

( अनिल कुमार- VI )

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुरा

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती अनिल कुमार- VI पदनाम विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुरा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जनपद न्यायाधीश  
फतेहपुरा